हम भारत के लोग

संविधान की कल्पना का भारत

भारत की ही तरह यह किताब भी एक सांझा प्रयास है। वे कुछ लोग जिन्होंने इस किताब को बनाने, संवारने, लिखने में सहभागिता की है -

अरुणिम प्रकाश
अतानु रॉय
बिरेंदर नेगी
दीपक चन्द्रा
देवेन्द्र सोनी
दुर्गा बाई
हबीब अली
जय कृष्णा पाल्या
करुन्या बास्कर
खुशबू गर्ग
किरण मुगाबासव
लक्ष्य चौधरी
महेंद्र दुबे
मीनाक्षी नटराजन
निखिल माथुर
निलेश गहलोत
पाणिनि आनंद
प्रशांत पाठक नीलू
'अहिंसा के रास्ते' शिविर के सहभागी
प्रिया कुरियन
आर एस बाली
राजेश जोशी
राजकुमार कटारिया
राम प्रकाश त्रिपाठी
सचिन नाईक
सचिन राव
सागर अरंकल्ले
शशि सबलोक
शीतल सोनी
शिवी चौहान
सुनील पंवार
सनी मलिक
सूरज हेगड़े
सुशील शुक्ल
वर्षा अय्यर
वेलु शंकर
वीरमा राम

Version 1, October 2, 2018

संविधान भारत की ही तरह विशाल और गहन है। यह एक शैक्षिक कार्य नहीं है। संविधान को सूक्ष्मता से समझने का हमारा इरादा नहीं है। मगर संविधान के गहरे मानवीय और अद्भुत नजरिये को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम संयुक्त रूप से इस अद्भुत संकल्प को सम्भाल कर रखने की उम्मीद रखते हैं। ताकि यह हर आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर सके। यह एक खुला प्रयोग है, जिसे सबके सहयोग से निरंतर विकसित और बेहतर होते हुए आत्मार्पित होते जाना है। इस साझे प्रयास में सभी विचारों, सुझावों का स्वागत है। कोई अगर इसका किसी भी भाषा में अनुवाद, संक्षिप्तिकरण आदि करना चाहते हैं तो हमें ahimsakeraste@gmail.com पर सूचित करें।

वस्तुतः हमें इसकी प्रेरणा स्वर्गीय न्यायमूर्ति लीला सेठ की पुस्तक (We the Children of India) से मिली। हम उनके आभारी हैं।

इस किताब की कमी या त्रुटी के लिए जिम्मेदार केवल सचिन राव (sachinrao.email@gmail.com) रहेंगे।

हम भारत के लोग

संविधान की कल्पना का भारत

यह समर्पित है पैंतीस राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 5,97,608 गांव तथा 7,933 नगरों में बसे करीब 90 धर्मों का पालन करते 270 भाषा और बोली बोलते भारत के 1,21,08,54,977 लोगों को; वे लोग जो एक स्वतंत्र शक्ति संपन्न भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं।

*सभी संख्याएं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है।

हम ही भारत हैं।

भारत हमारा घर, आशियाना है। हम यही रहते हैं। परवरिश पाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते और खेलते हैं। हमें प्यारी हर वो चीज, जगह, या लोग सब यहीं हैं। यही भारत है, जहां हमारे सपने पलते हैं और पूरे होते हैं।

सभी भारतीय एक परिवार हैं। यह हमारा साझा आशियाना है। हम एक-दूसरे का अभिन्न हिस्सा हैं। एक-दूसरे से जुड़े हैं और अंर्तनिर्भर हैं। हमे एक-दूसरे का ख्याल रखना है और परस्पर बढ़ाना है।

हम इस आशियाने को मिलकर संवार रहे हैं। हर एक भारतीय बूढ़े या जवान, नामवर या अनजान, धनवान या गरीब, पढ़े-लिखे या निरक्षर भारत का अमूल्य हिस्सा हैं। उनका स्थान कभी कोई और नहीं ले सकता। हम सब किसान, मजदूर, शिक्षक, सैनिक, ड्राईवर, सफाईकर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, दोस्त, पड़ोसी, अभिभावक, लेखक, विचारक, पाठक, शिक्षार्थी, प्रवासी, शरणार्थी, प्रवाचक-उत्प्रेरक के रूप में अपने-अपने विचार व्यवहार और कर्मो से भारत का निर्माण कर रहे हैं।

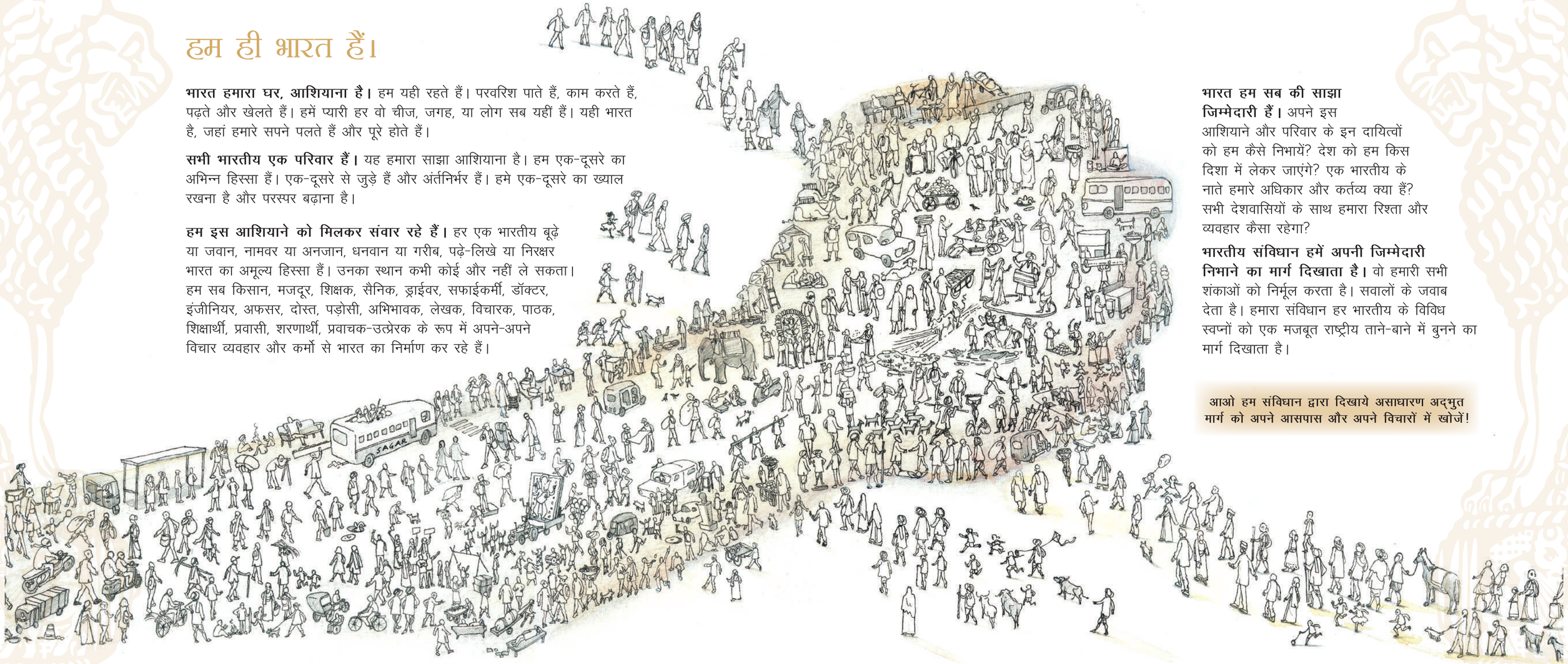

भारत हम सब की साझा जिम्मेदारी हैं। अपने इस आशियाने और परिवार के इन दायित्वों को हम कैसे निभायें? देश को हम किस दिशा में लेकर जाएंगे? एक भारतीय के नाते हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? सभी देशवासियों के साथ हमारा रिश्ता और व्यवहार कैसा रहेगा?

भारतीय संविधान हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का मार्ग दिखाता है। वो हमारी सभी शंकाओं को निर्मूल करता है। सवालों के जवाब देता है। हमारा संविधान हर भारतीय के विविध स्वप्नों को एक मजबूत राष्ट्रीय ताने-बाने में बुनने का मार्ग दिखाता है।

आओ हम संविधान द्वारा दिखाये असाधारण अद्भुत मार्ग को अपने आसपास और अपने विचारों में खोजें!

स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा

अन्याय के अंधकार के विरुद्ध एक लम्बे अथक संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्र भारत का सूर्योदय हुआ। हजारों हजार भारतीय, सैकड़ों नेता स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार बने और कुर्बानियां दी। शहादत को अंगीकार किया। स्वतंत्रता संग्रामियों ने अतुल्य बलिदान करते हुए भारत के संकटों, समस्याओं की गहराई से पड़ताल की थी। **उनका संग्राम केवल अंग्रेजी हुक्मरानों की दासता के खिलाफ नहीं था वरन् समाज को जकड़ती हर प्रकार की दासता के खिलाफ था।** संघर्षों के स्वरूप पर सभी नेताओं के विचार एक न होते हुए भी एक जैसे थे। आजाद भारत के स्वप्न को साकार करना।

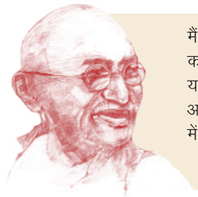

मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां सबसे गरीब भी यह महसूस करें कि यह उनका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका है।

— महात्मा गांधी

जब तक सामाजिक ढांचे में बुनियादी बदलाव नहीं होगा, तब तक प्रगति से हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे। जाति की बुनियाद पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकेंगे। आप न तो राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, न नैतिकता का ही निर्माण कर पायेंगे। जाति की बुनियाद पर खड़े हर निर्माण में दरारें ही होंगी और वह कभी पूर्ण नहीं होगा।

— बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

भारत की खिदमत का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा है, जो वंचित है। इसका मतलब है गरीबी, अज्ञान, बीमारी और अवसर की असमानता का अन्त। जब तक आंसू है, तकलीफें है, तब तक हमारा काम और मकसद अधूरा है।

— पंडित जवाहरलाल नेहरू

क्रांति का मतलब अन्यायकारी व्यवस्था को खत्म करना है। उत्पादक और मजदूरों का हक शोषक छीन लेते हैं। किसान जो सबके लिए अनाज उपजाता है, खुद भूखमरी का शिकार है। जुलाहे जो विश्व बाजार के लिए कपड़ा मुहैया कराते हैं, उनके अपने पास और अपने बच्चों का तन ढंकने के लिए कपड़े नहीं है। मिस्त्री, लुहार, बढ़ई जो बड़े-बड़े महल बनाते हैं, खुद झोंपड़ियों में परित्यक्तों की तरह गुजर करने को मजबूर हैं।

— भगत सिंह

सावित्री बाई फूले

अपने जीवन भर के काम से विधवा स्त्रियों, परित्यक्ताओं, दलितों, बच्चों, रुग्ण एवं अन्य सब की सेवा और सुरक्षा करते हुए, उनके जीवन ने हमें समाज के तौर पर अपनी विफलताओं से परिचित कराया। महिलाओं और दलितों के बीच शिक्षा के प्रसार के उनके क्रांतिकारी काम ने हमें खुद को सुधारने का मार्ग दिखाया।

सबकी यह समझ थी कि **भारत महज ब्रिटिश तंत्र का गुलाम नहीं था।**

- हम **गरीबी** के गुलाम थे; जिसने भूखमरी और अशिक्षा को पनपाया। हमें असहाय बनाया।
- हम **भेदभाव** के गुलाम थे, जिसने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, वंचितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया।
- हम चंद विशिष्ट लोगों के हाथों में केंद्रीकृत सत्ता, रुतबा, साधनों के चलते **असमानता** के गुलाम थे।
- हम अदृश्य **तानाशाही** के गुलाम थे, जिसमें अवाम की कोई आवाज नहीं थी।

उन्होंने समझा कि सही मायने में स्वतंत्रता के लिए एक क्रांति की जरूरत है। **एक ऐसी सामाजिक क्रांति** जो हर दमित दलित को सुरक्षित, सशक्त और स्वाधीन बना दे। **ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति** जहां आंसू ना हो, गम ना हो, क्रोध और हिंसा ना हो, घृणा ना हो, बस प्यार हो। उसके जरिये बदलाव की आकांक्षा हो। यह हर तबके को समाहित करती **सांझी क्रांति** है, जिसको एकजुट राष्ट्र का बल और विवेक मिलता है।

मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जनता की उपेक्षा है और यही हमारे पतन के कारणों में से एक है। भारत की जनता को एक बार अच्छे तरह से शिक्षित, पोषित और उनकी अच्छी तरह से देखभाल किए जाने तक राजनीति से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो हमें जनता के लिए काम करना होगा।

– स्वामी विवेकानंद

विविधता में एकता की स्वीकृति युगों-युगों से भारत का आदर्श वाक्य रहा है। इस सिद्धांत का सार एक व्यापक सहिष्णुता रही है जिसमें मतभेदों को पहचाना जाता है और उनके कारणों को जाना जाता है। भारतीय भलीभांति जानते हैं कि सच्चाई के कई पहलू हैं और घृणा तभी उत्पन्न होती है जब लोग सच्चाई और गुणों पर एकाधिकार का दावा करते हैं।

– मौलाना आजाद

शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, सामाजिक क्रांति के सपने ने संविधान के निर्माताओं को दिशा दिखाई।

संविधान क्या है

संविधान हमारी राष्ट्रीय थाती की किताब है। ऐसी राष्ट्रीय पुस्तक जिसमें ऐसे विचारों, नियमों और संकल्पों का संचयन है, जो भारत को एक होकर रहने और काम करने का मार्ग प्रशस्त करता है। **वह भारत का सर्वोच्च विधान है।** संविधान से ऊपर कोई नहीं है।

संविधान महज एक नियमावली नहीं है। वह -

- **एक साझा सपना है।** हमारे सामूहिक समान संकल्पों और विचारों का दस्तावेज है। यह सामूहिक नजरिया हमारा दिशा दाता भी है कि हमें कैसा देश, परिवेश और भविष्य चाहिये।
- **एक पारस्परिक वचन।** हमारा संविधान हर भारतीय के गरिमापूर्ण जीवन निर्माण हेतु अधिकार, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। इसके बदले में वह हमें भी अपने दायित्वों के निर्वहन का मार्ग दिखाता है।
- **देश का मानचित्र।** संविधान की मंशा है कि भारत के हर कानून की संरचना संविधान में देश को दिये वचन को पूरा करने वाली हो। कोई भी कानून व्यवहार या आचरण संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान ने हमें राज्य विधानसभाएं, संसद, कोर्ट, कचहरी, मंत्रिमंडल और सार्वजनिक चुनाव की व्यवस्थाएं दी, उन्हें परिभाषित किया। यह सब देशवासियों की सेवा के लिए ही बनाई गई।

संविधान कैसे बना?

भारतीय **संविधान सभा** में भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों, तबकों, संस्कृतियों के 300 लोगों का प्रतिनिधित्व था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता बाबा साहेब **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस सभा ने 9 दिसम्बर 1946 से 26 नवम्बर 1949 तक लगातार काम किया और प्रस्तावित संवैधानिक पहलुओं पर गम्भीर विचार–विमर्श तथा तर्क प्रतितर्क किये। औपचारिक तौर पर देश की जनता ने **26 जनवरी 1950** को संविधान को आत्मार्पण के द्वारा अपनाया। इसलिए हम इस दिन **गणतंत्र दिवस** मनाते हैं।

15 अगस्त 1947 के दिन हम अपने देश की दिशा तय करने के लिए आजाद हुए।
26 जनवरी 1950 के दिन हमने अपनी दिशा को तय किया।

संविधान की आत्मा का सार इसकी प्रस्तावना या प्रतिज्ञा है, जो भारत के साझे सपने का खाका है। इसकी प्रस्तावना से संविधान के संकल्प परिभाषित होते हैं।

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण **प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**;

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सबमें,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, **बंधुता** बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर **अपनी संविधान सभा** में आज तारीख 26 नवम्बर,1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस **संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं**।

चलिए प्रस्तावना के विचारों पर मंथन करें।

यह संविधान हम अपने आपको सौंपते हैं। यह हमारे सहज बोध, सामूहिक विवेक और आकांक्षाओं का नतीजा है। यह किसी से मिला उपहार या अनुदान नहीं है। यह कोई नया रहस्योघाटन भी नहीं है।

संविधान देश के किसी वर्ग विशेष द्वारा रचा हुआ नहीं है। इसे बनाने में सभी आयु, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, शिक्षा के लोग शामिल हैं और **यह समान रूप से सबका है।**

हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो -

प्रभुत्व संपन्न

- **हम स्वयं अपने भविष्य के निर्माता** होंगे। हम किसी दूसरे देश, धर्म, ताकत या दीगर शक्ति से संचालित नहीं होंगे।
- यहां के **लोग ही यहां के एकमात्र मालिक** हैं। सरकार का काम जनसेवा है। उसे जो भी अधिकार मिले हैं, वो इसलिए कि जनता ने ही जनता के लिए देश चलाने के लिए उसे मुहैया कराये हैं।

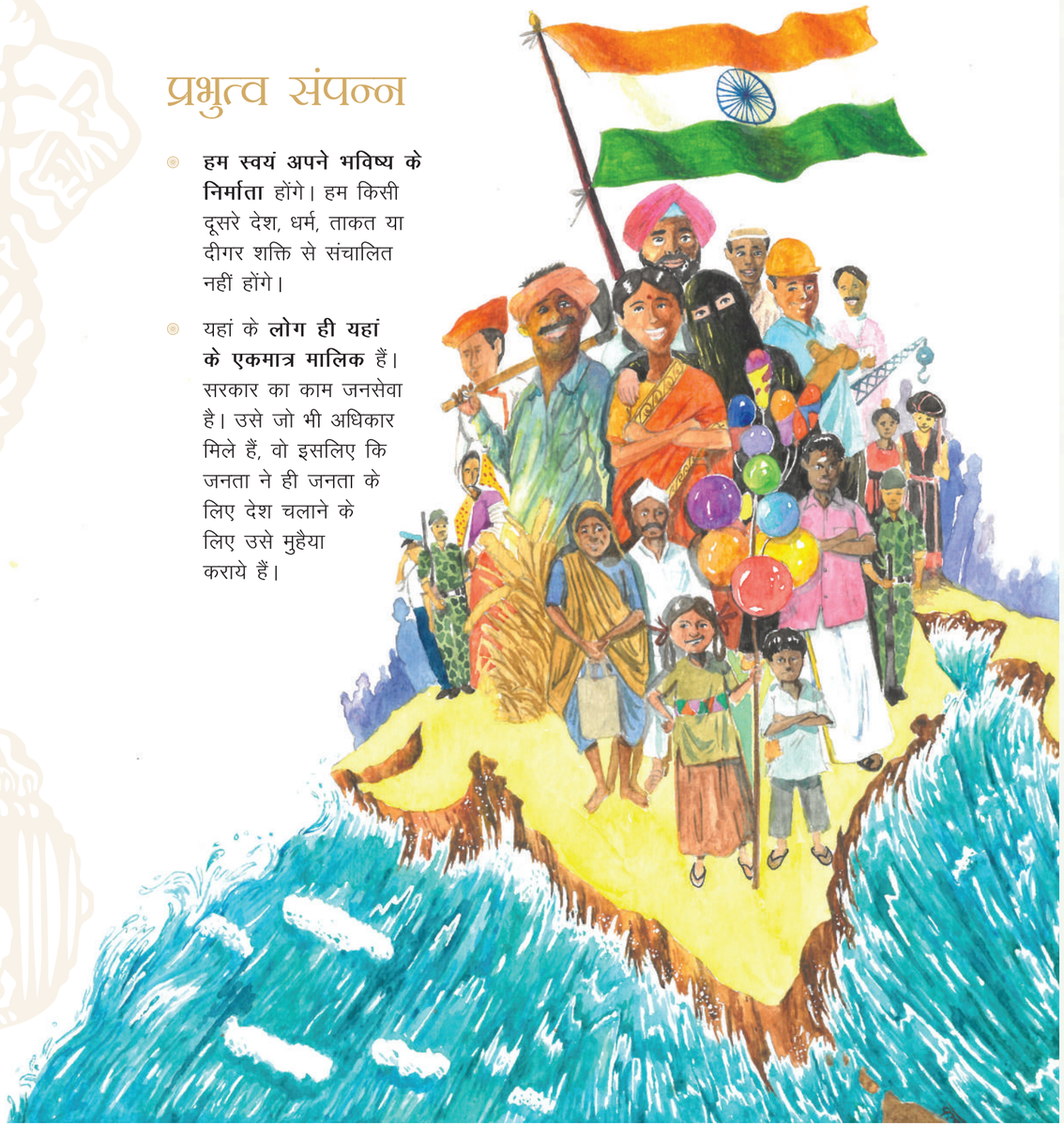

समाजवाद

भारत की संपत्ति सभी भारतीयों की होगी। किन्ही खास चुनिन्दा सुविधा संपन्न या विषेश अधिकार प्राप्त लोगों की नहीं है।

हम इस **साझा संपत्ति के जरिये समाज के सबसे गरीब हाशिये पर खड़े लोगों की भलाई** के लिए काम करेंगे। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन की बुनियादी जरूरतें हर नागरिक का मौलिक अधिकार होगा।

पंथ निरपेक्ष

हर भारतीय **अपनी पसंद का धर्म चुनने को स्वतंत्र** है। सरकार का कोई अपना घोषित या प्रमुख धर्म नहीं होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर धार्मिक समूह को भारत में **सुरक्षा और अपनापन महसूस** हो।

लोकतांत्रिक गणतंत्र

हर भारतीय को एहसास हो कि **देश को गढ़ने में उसकी भी आवाज** है, भागीदारी है। सामान्य जन इच्छा ही देश का मार्ग प्रशस्त करेगी। जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि ही निर्णय ले सकेंगे।

हम सब मिलकर इस तरह का काम करेंगे जिससे हरेक को अनुभव हो -

न्याय

- हर भारतीय अपने को **अत्याचार, शोषण, भेदभाव, पक्षपात मुक्त** महसूस करे। अत्याचार के कई कारण और रूप हो सकते हैं। वह कुछ **सामाजिक रीतियों और जड़ मान्यताओं** का परिणाम हो सकता है। मसलन, सामाजिक या कुछ जाति मूलक, धर्म से जुड़ा। शोषण **आर्थिक कारणों** से भी हो सकता है। गरीब का शोषण उनकी अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी और लाचारी के कारण हो सकता है। **राजनीतिक कारणों** से भी शोषण हो सकता है। लोग सहभागिता के अभाव में बेबस और परतंत्र महसूस कर सकते हैं।
- दमन का कारण कोई भी हो, **अन्याय के प्रतिकार और निराकरण की हर भारतीय के पास ताकत होनी चाहिये।**

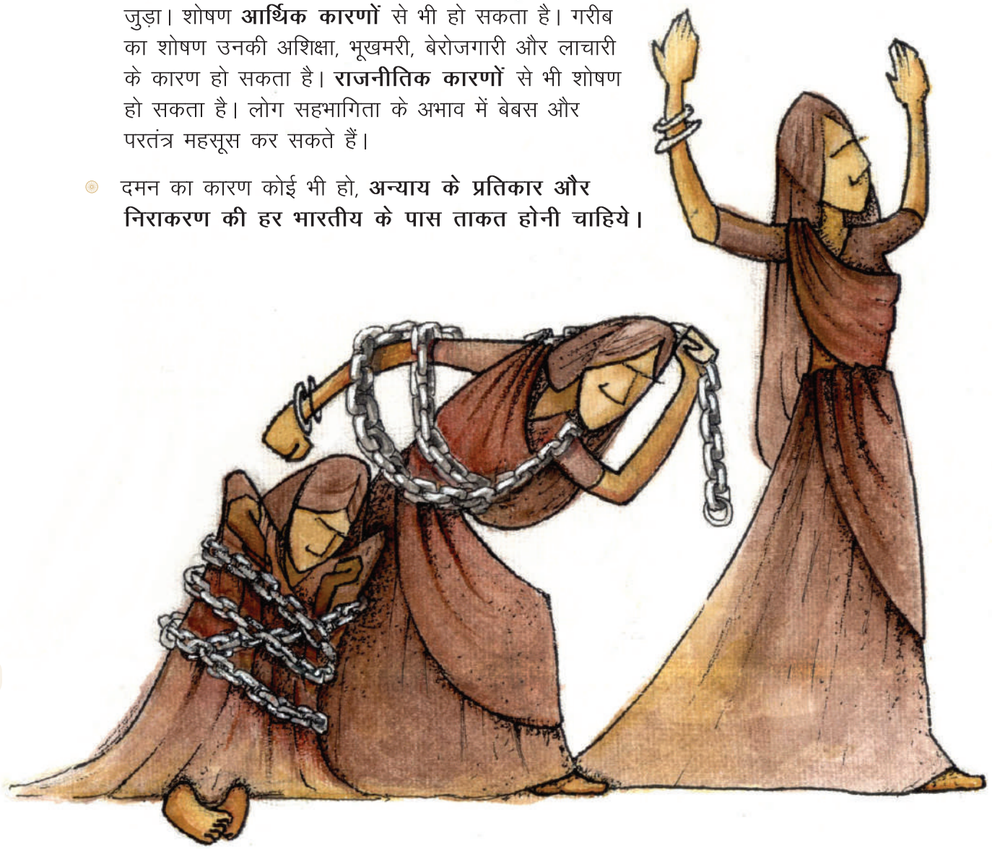

स्वतंत्रता

भारत में हमें अपनी मर्जी का जीवन **जीने की स्वतंत्रता** मिलनी चाहिए। अपनी मर्जी से रहने, सोचने, प्यार करने, उपासना करने, खाने-बोलने और काम करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जो किसी और को हानि न पहुंचाये। भारत एक विविध वर्गी इन्द्रधनुष है, जिसमें करोड़ों रंग हैं। **हर रंग जुदा है जिसको किसी और से कभी बदला नहीं जा सकता।** भारत के सही अर्थों में स्वतंत्र होने के लिए हर एक रंग को उसके अपने विशेष अंदाज में खिलने देना जरूरी है।

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

अपने **स्वप्न को मनचाहे ढंग से साकार करने का हर भारतीय को अवसर** मिलना चाहिए। वैसे तो हम सभी भिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हम समान रूप से सक्षम भी नहीं हैं। मगर यह अंतर हमारी नियति को तय नहीं करेगा। हमारा संकल्प है कि हम वंचितों, असहायों की इस तरह सहायता करेंगे कि वे सब अपने को प्रतिष्ठित महसूस करते हुए अपनी जिन्दगी को बेहतर ढंग से जीने के समान अवसर प्राप्त करें।

बंधुता

भारत के इस साझा सपने को पूरा करने के लिए **हम एक दूसरे का भाई बहन की तरह ख्याल** रखेंगे।हम **स्वीकृति, करुणा और विश्वास** का भाव बनाये रखेंगे। हम एक ऐसा वातावरण बनायेंगे जहां पर एकता बल से नहीं प्रेम से प्राप्त किया गया हो

भारतीय संविधान - एक कारुण जनक्रांति

वह समय दुनिया के लिए अंधकारमय काल था। **हर बड़े राष्ट्र का निर्माण शोषण-दमन और हिंसा से हुआ था।** ब्रिटेन और फ्रांस उपनिवेशी व्यवस्था से दूसरे देशों को गुलाम बनाकर खड़े हुए थे। इटली और जर्मनी का अभ्युदय फासीवाद से हो रहा था। भिन्न नस्लों को खत्म करके भिन्न विचारवालों, असहमतों, अल्पसंख्यकों को रौंदने से हुआ। रूस और चीन का रास्ता पूंजीपतियों और शक्तिमान के विरुद्ध भारी हिंसा और हिकारत का था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे समाज की रचना की जहां नस्लवादी विचार से अश्वेतों का सिलसिलेवार दमन हुआ और उन्हें अधिकार वंचित किया जाता रहा।

इस अंधकारमय युग में भारत के संविधान ने **संवेदना और मानवता का चिराग** रोशन किया। दुनिया को बताया कि क्रांति; शांति और अहिंसा से भी संभव है। राष्ट्र निर्माण का नया मार्ग दिखाया;

- एक मार्ग जिसने सदियों से किये गये **बहिष्कार की चूक को कुबूला और उसका सुधार** किया।
- एक मार्ग जो **दमन नहीं करुणा** की मांग करता है।
- एक मार्ग जो बहिष्कार नहीं **समावेश** का मार्ग है।
- एक मार्ग जो **विविधता का उत्सव** मनाता है न कि उसे कुचलता है।
- एक मार्ग जो **नफरत नहीं प्रेम** के आधार पर बना है।
- एक मार्ग जो मुक्ति प्रदान करता है **न कि भय**।

संविधान के रास्ते हमने लम्बा सफर तय किया है।

संविधान के रास्ते चलते भारत ने 70 सालों में एक लंबा फासला तय किया है। यह देश के विकास के लिए जरूरी **शांति, स्थायित्व और एकता** की रोशनी लेकर आया। इसने सदियों से **वंचित तबकों को मुख्यधारा** बनाकर देश निर्माण में शामिल किया। इसी ने हमें आजाद ख्याल बनाया और हमें **सपने देखने, उन्हें साकार करने तथा सृजन की आजादी** दी।

मानव विकास
औसत आयु जो 1947 में 32 वर्ष थी आज बढ़कर 70 हो गई है। साक्षरता दर 16% से बढ़कर 74% हो गई। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1960 में 1700 से बढ़कर आज 1.14 लाख हो गई। खाद्यान उत्पादन 59.2 मिलियन टन से बढ़कर 253.16 मिलियन टन हो गया।

व्यवस्था
हमने प्रशासन, न्याय, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त व्यवस्था, रक्षा जैसे आधारभूत काम किये जो इस महान देश के संचालन के लिए जरूरी थे। इन सबके लिए सुगम प्रणाली बनाई।

आधारभूत संरचना
हमने अपने राष्ट्रीय सम्पदा की संरचना की है। सन 1947 में जहां बमुश्किल 1500 गांव तक बिजली की पहुंच थी, आज हर गांव तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। हमने सड़कों का संजाल तैयार किया है। 1947 के 4 लाख किलोमीटर से बढ़कर आज 56 लाख किलोमीटर तक हो गया है। 84,000 दूरसंचार के तार, 120 करोड़ मोबाइल और दूरभाष कनेक्शन हैं। स्वतंत्रता के वक्त जहां मात्र 7 इंजीनियरिंग और 10 मेडिकल कॉलेज थे, आज वहां महाविद्यालय और विश्वविद्यालय देश के हर कोने में हैं।

सामाजिक न्याय
संवैधानिक प्रावधानों से हमने छुआछूत को गैर-कानूनी बनाया है। शिक्षा, रोजगार, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक जानकारी को हर नागरिक का अधिकार बनाया है। वे समुदाय जिन्हें पहले स्कूल की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं था, आज उन में से डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक उभर रहे हैं। सदियों से समाज के हाशिए पर धकेले गये समुदायों के लोग आज राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायधीश, उच्च अधिकारी के पदों पर आसीन हैं और सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के रिवाजों और संस्कृति के संरक्षण के उनके अधिकार को सुरक्षित किया है।

वैश्विक पहचान
भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। हम उन चुनिन्दा देशों में शुमार हैं जिन्होंने उपग्रह छोड़े और परमाणु शक्ति संपन्न हुए। हमने विश्व के विकासशील देशों का नेतृत्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में किया। हमने जनतंत्र की शमां को जलाये रखा। जबकि हमारे पड़ोसी देश तानाशाही और सैन्य शासन के शिकंजों में जकड़े हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा देश मानवीय गरिमा, संवेदना, अहिंसा और शांति के आकाशदीप के रूप में जगमग है।

गुलामी से उभरते भारत ने विश्व में अपना स्थान बनाया है। **हमारी उपलब्धियां किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हैं बल्कि संविधान से उत्प्रेरित भारत के लोगों की साझी उपलब्धि है।**

हमारा भविष्य

भारत ने लम्बा फासला तय किया है लेकिन मंजिल अभी दूर है।

- बच्चे आज भी भूखे सोते हैं।
- लोग जाति विशेष में पैदा होने के कारण अपमानित और उत्पीड़ित हैं।
- अपने धर्मपालन के कारण कुछ धर्मावलम्बी असुरक्षित और डरे सहमे रहते हैं।
- घर, कार्यस्थल और समाज में आज भी महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं।
- गरीबी के अभिशाप से असंख्य लोग अपमानित, तिरस्कृत और शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
- कितने ही भारतीय संविधान प्रदत्त न्याय, स्वतंत्रता, समता की आज तक बाट जोह रहे हैं।

संविधान सभा के अंतिम व्याख्यान में बाबा साहेब ने बेड़ियों से जकड़े लोगों के बारे में चेतावनी दी थी;

"26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी लेकिन सामाजिक, आर्थिक स्तर पर असमानता रहेगी। राजनीति में एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत की मान्यता होगी। समानार्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के चलते एक व्यक्ति एवं एक वोट के मूल्य को धता बताते रहेंगे। यदि लम्बे समय तक यह स्थिति रही तो जनता के लिए यह बड़ा खतरा होगा। इस विरोधाभास को यथासंभव जल्दी से जल्दी दूर करना होगा अन्यथा असमानता के शिकार लोग इस राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे।"

— बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

हमारी पिछली पीढ़ी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। **अब हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के सपने को हर भारतीय के जीवन का यथार्थ बनाएं।**

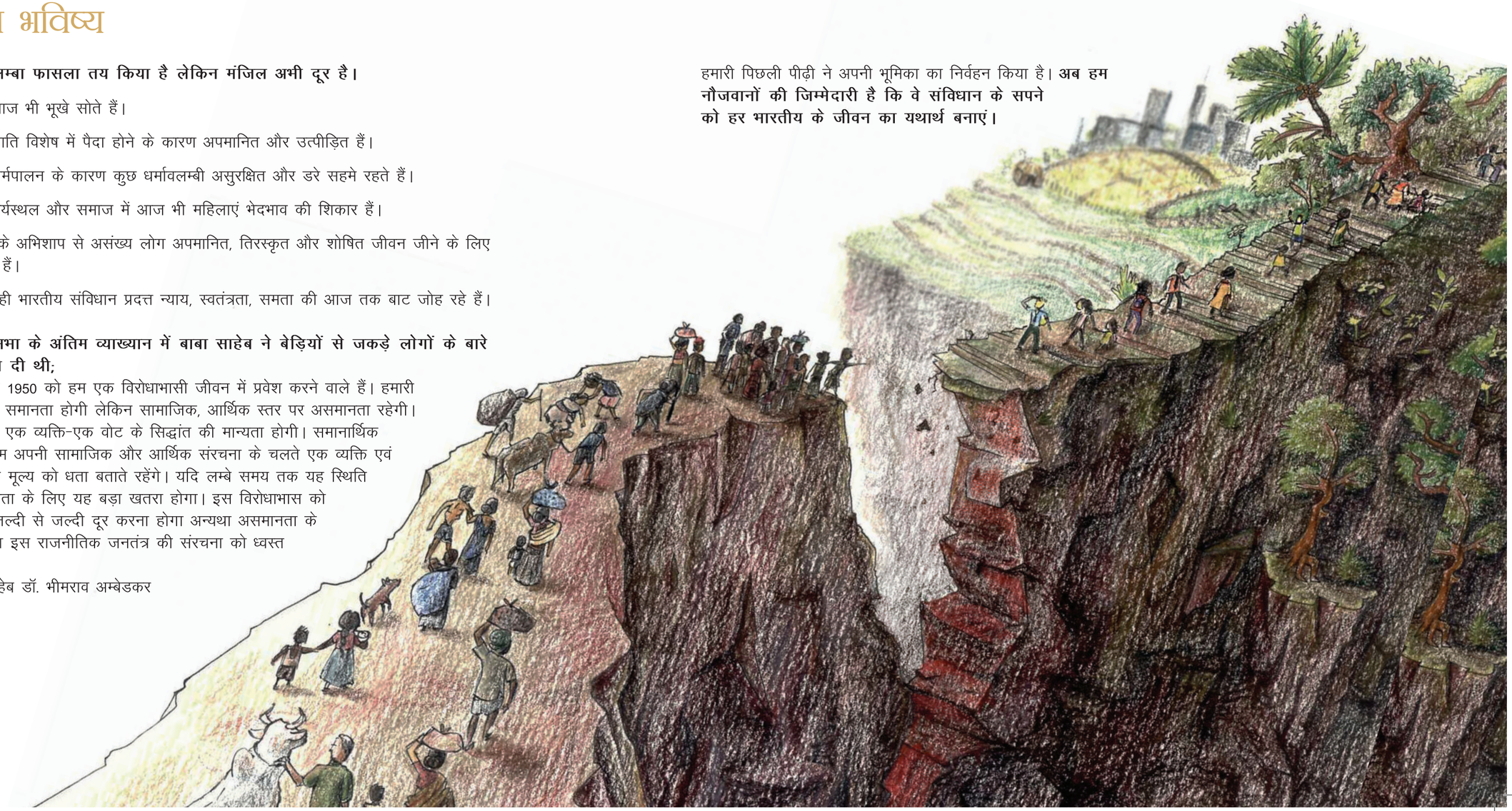

अब हमारी बारी है

हमारा इस देश के लिए संकल्प -

महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि हर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। यदि हम भारत को संविधान के रास्ते पर रखना चाहते हैं तो पहला जरूरी कदम यह होगा कि हम संवैधानिक मूल्यों को खुद अंगीकार करें।

हम खुद से और देशवासियों से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि -

हम भय से नहीं प्रेम से परिचालित होंगे।

- हम अन्य जन को आनंद और आजादी दिलाने में गर्व और खुशी महसूस करेंगे न कि उन पर अधिकार जता कर खुश होंगे।
- हम अपनी भिन्नताओं का जश्न मनाएंगे और उससे अपनी आपसी समझ बढ़ायेंगे न कि उन पर भयवश प्रहार करेंगे।
- हम सबको अपना परिवार मानेंगे। प्यार, स्वीकृति और धैर्य से सबको अपनायेंगे।

हम हर व्यक्ति की गरिमा की कद्र करेंगे। उसके पक्ष में खड़े होंगे।

- हम कभी किसी व्यक्ति को ऊँचनीच की नजर से नहीं देखेंगे।
- धन, धर्म, आस्था, जाति, लिंग, भाषा, शिक्षा, व्यवस्था, शारीरिक बनावट या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
- दूसरों की निंदा, अवमानना के बजाय उन्हें बिना शर्त समझेंगे, अपनाएंगे।
- हम अभिव्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करेंगे चाहे हम उनसे कितने भी असहमत क्यों न हों।

अपने विशेषाधिकारों के प्रति सजग होंगे।

हमारे विशेषाधिकार के मूल में हमारा प्रभुत्व संपन्न धर्म, जाति या लिंग हो सकता है। यह अधिक संपन्नता और शिक्षा के कारण भी हो सकता है। विशेषाधिकारों के कारण जो हों, हमें -

- कभी अपनी विशेष स्थिति का प्रयोग आक्रमण दलन या अपना मत थोपने के लिए नहीं करेंगे।
- आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि और संख्या में जो लोग कमजोर हैं, उनका संरक्षण करेंगे।
- हम अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा से मुक्त होकर अपने विशेषाधिकार का उपयोग समतामूलक समाज बनाने के लिए करेंगे।

हम बिना भय, क्रोध और हिंसा के अन्याय का प्रतिरोध करेंगे।

- हम इस विश्वास पर अडिग रहेंगे कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि अत्याचार हमारी नियति है।
- संविधान के आदर्शों की प्रेरणा से शक्ति पाकर संवैधानिक मार्ग से सामाजिक बदलाव के लिए सचेत रहेंगे।
- समाज में फैले धर्म, श्रेणी, लिंग, जाति आदि कारणों से उत्पन्न सामाजिक विकारों और अन्याय को दुरुस्त करेंगे।

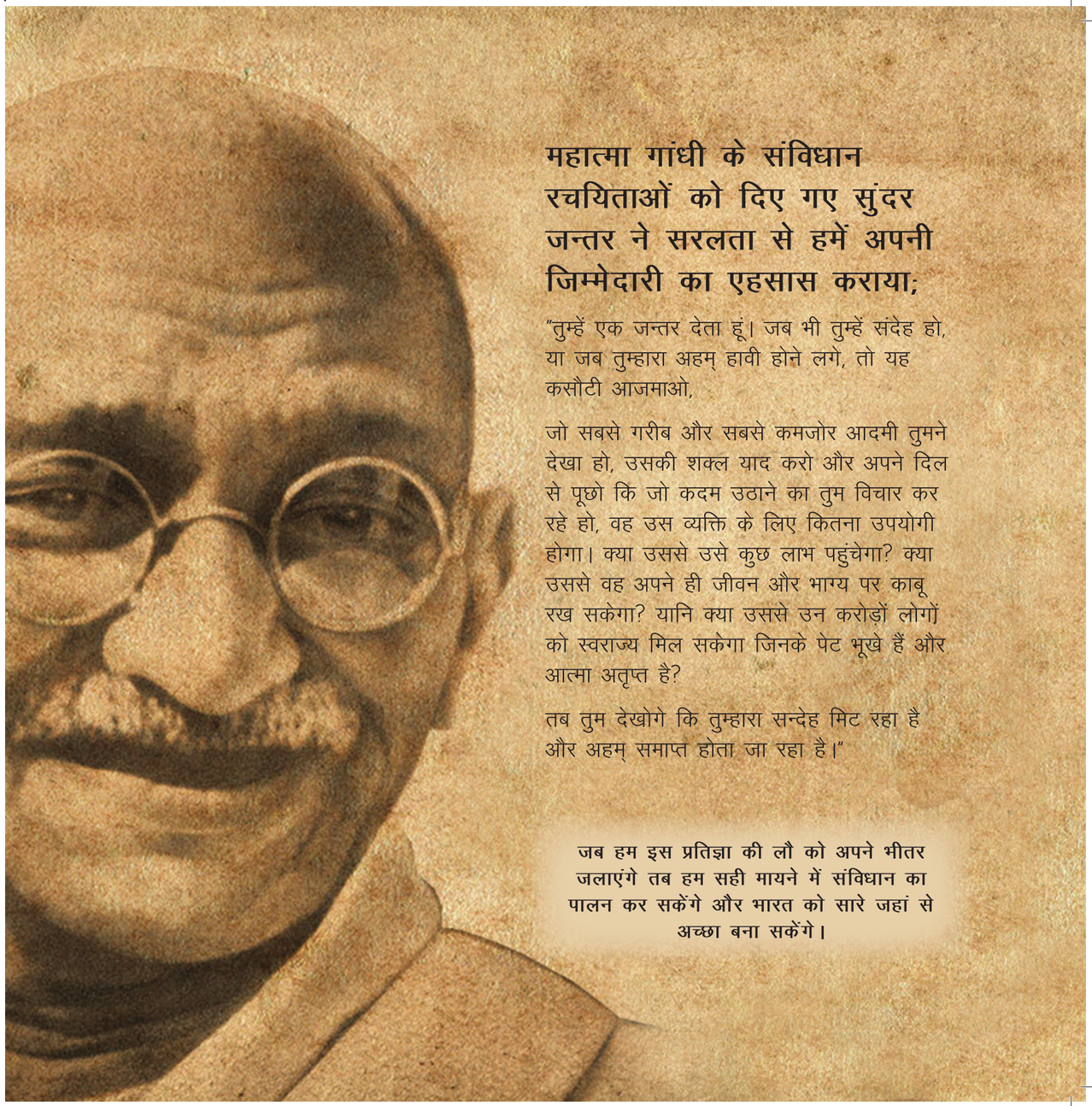

महात्मा गांधी के संविधान रचयिताओं को दिए गए सुंदर जन्तर ने सरलता से हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया;

"तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो, या जब तुम्हारा अहम् हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ,

जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।"

जब हम इस प्रतिज्ञा की लौ को अपने भीतर जलाएंगे तब हम सही मायने में संविधान का पालन कर सकेंगे और भारत को सारे जहां से अच्छा बना सकेंगे।

भारत के लिए आपका सपना?

जहाँ मन भय से मुक्त हो

जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो।

जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र हो। जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में ना तोड़ा गया हो।

जहाँ विचार सच्चाई की गहराई से उपजतें हों।

जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर बढातें हो।

जहाँ विवेक की निर्मल धारा अन्ध-विश्वासों के मरुथल की नकारात्मक रेत में ना खो गयी हो।

जहाँ मन आपसे प्रेरित हो कर निरन्तर-प्रगतिशील विचारों और कर्मठता की ओर बढता हो।

उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे परमपिता! मेरे देश को जागृत कर दे।

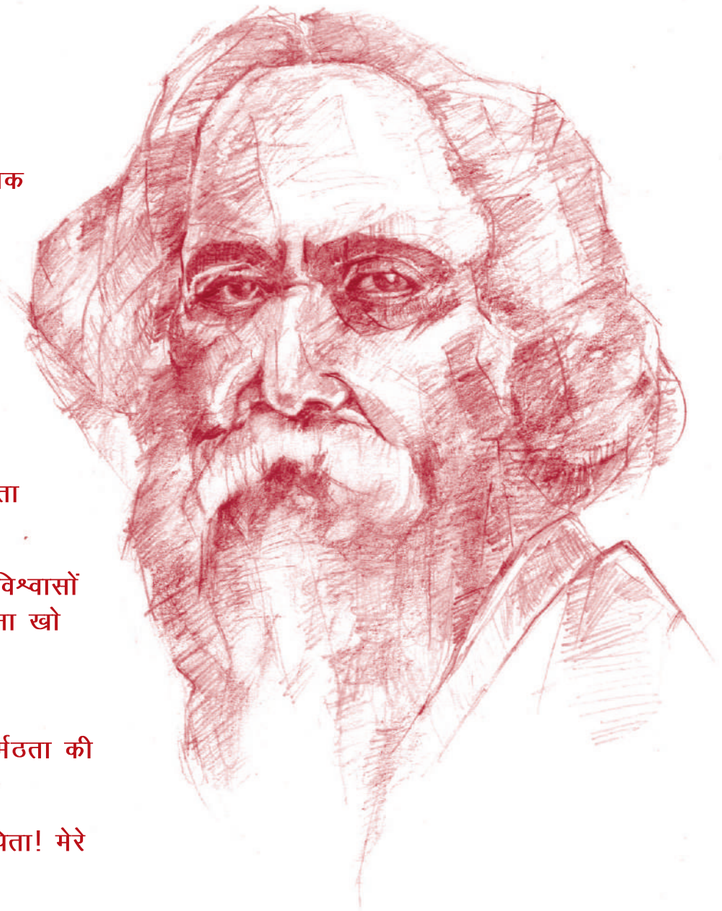

—रवीन्द्रनाथ टैगोर

हम भारत के लोग

Version 1, October 2, 2018

Email: **ahimsakeraste@gmail.com**
Website: **www.humhaibharat.in**